21.6.19 [illegible] लोक अदालत शिविर में [illegible] पत्रावली में [illegible] पक्षकारान [illegible] दिनांक 25.9.19 को पेश की।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पच [illegible] (दौसा)

25.9.19 पत्रावली पर [illegible] अधिकारी दौरे पर [illegible] दिनांक 3.1.19 को पेश हो।

रीडर

3.1.19- पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप०, पत्रावली वास्ते तसपीना दि. 11.4.19 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा जि. दौसा (राज.)

11-4-19 पत्रावली [illegible] अधिकारी दौरे पर है। [illegible] दिनांक 20-6-19 को पेश हो।

रीडर

4/8/20 पत्रावली देखी हुई प्रार्थी अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अवगत कराया कि इस विषय में प्रतिकूल पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा की चिरंजीवी है अतः प्रतिकूल पक्ष अस्थायी निषेधाज्ञा विरुद्ध न्यायालय द्वारा निकाला है। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रकरण लम्बित है। अतः पत्रावली नस्ती रहे।

अंगूठा लगाया
9.0'

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ पचवारा
(दौसा)